—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 3/2021

उनवान

समदा पुत्र काना जाति मेहरात निवासी ग्राम बिठुर, नसीराबाद

—— अपीलांट :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत देराठू, नसीराबाद
2. पीरबक्श पुत्र अली
3. शेरखान पुत्र अली
4. सुल्तान पुत्र अली
5. मुबारिक पुत्र अली
6. अब्दुल पुत्र अली
7. कमला पत्नी अली समस्त जाति मेहरात निवासी ग्राम बिठुर, नसीराबाद
8. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— रेस्पोडेन्टस :— 1 से 7 अनुपस्थित, 8 जरियें राज. पैराकार

9. जमीला पुत्री कम्मा पत्नी आलम जाति मेहरात निवासी ग्राम बिठुर, नसीराबाद, हाल निवासी ग्राम हंटुडी, तहसील, अजमेर।

——प्रफोर्मा रेस्पोडेन्टस :— 9 अनुपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व ग्राम पंचायत बिठुर प.स. श्रीनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.10.2020 नामान्तरकरण संख्या 1083 के द्वारा पंचायत द्वारा स्वीकृत करने के आदेश के विरूद्व अपील बाबत।

—: आदेश :— दिनांक :— 5/3/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:59:03 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता अपीलांट ने उक्त अपील पेश [illegible] किया कि ग्राम बिठुर में स्थित अपीलांट की खातेदारी का विवरण [illegible]

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
390	2–0–0	641 640 639	0.19 0.05 0.08
398	1–9–0	644 645	0.15 0.09
397	0–12–10	638	0.09

उपरोक्त आराजी वंर्किग जमाबंदी में समदा व कम्मा पि. काना के नाम खातेदारी दर्ज थी। समदा अपीलांट है। कम्मा की मृत्यु हो गयी है, की वारिस वत्नी सोहनी की भी मृत्यु हो गयी है। उसकी पत्नी जमीला प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट है। अपीलांट की उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 7 के पूर्वज अली के नाम शून्य विक्रय पत्र दिनांक 16.01.1985 के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1083 दिनांक 05.10.2020 कूटरचित विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया। उक्त विक्रय पत्र निरस्त करने का वाद उनवान समदा बनाम पीरबक्ष सिविल न्यायालय नसीराबाद में विचारराधीन रहते ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामान्तकरण स्वीकृत कराया गया। ग्राम पंचायत द्वारा शून्य विक्रय पत्र के आधार पर विधि के प्रावधान के विपरित उक्त विवादग्रस्त नामान्तकरण तस्दीक कर राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेन्टस का नाम स्वीकार किया गया। अतः अपील स्वीकार की जा कर विवादग्रस्त नामान्तकरण को निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरियें नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 7 व 9 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 110/112 किता 6 रकबा 0.65 में भूमि अपीलांट समदा व उसके भाई कम्मा पुत्र काना की सह खातेदारी में दर्ज थी। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1083 दिनांक 05.10.2020 से कम्मा पुत्र काना का हिस्सा अली मोहम्मद पुत्र घीसा के नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा का 1/2 हिस्सा पूर्व राजस्व अभिलेख अनुसार अपीलांट व 1/2 हिस्सा अली पि. घीसा के नाम अंकित है। रेस्पोडेन्टस संख्या 2 से 7 अली मोहम्मद पुत्र घीसा के विधिक वारिस है। वंर्किग जमाबंदी में भी उक्त आराजी अपीलांट समदा व उसके भाई कम्मा पुत्र काना की सह खातेदारी में दर्ज थी। तत्कालीन खातेदार कम्मा पुत्र काना के द्वारा अपना हिस्सा जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र अली मोहम्मद पुत्र घीसा को बैचान किये जाने पर अपीलाधीन नामानतकरण द्वारा उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा क्रेता के नाम ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज किया गया। अपीलांट का कथन है कि उक्त आराजी अविभाजित होने के कारण भूमि का विक्रय पत्र शून्य है। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख अपीलांट का 1/2 हिस्सा पूर्व अनुसार दर्ज है। सह खातेदार कम्मा पुत्र काना द्वारा अपना हिस्सा बैचान किया गया है तथा ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:59:03 IST
Reason: SelfAttested

पंचायत द्वारा भी आराजी मुतनाजा पर कम्मा पुत्र काना का हिस्सा ही केता के नाम दर्ज किया गया है। उक्त विक्रय पत्र व नामान्तकरण द्वारा अपीलांट का हक व हिस्सा प्रभावित नही किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संख्या 47/19 बउनवान समदा बनाम पीरबक्श अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी के अनुसार अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र सिविल न्यायालय में पेश किया है। अपीलांट का कथन है कि उसके द्वारा विक्रय पत्र निरस्त करने हेतु वाद सिविल न्यायालय में पेश किया है, किन्तु अपीलांट द्वारा उक्त वाद की प्रति पेश नही की है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी के प्रार्थना पत्र में भी सिविल न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नही किया है। विक्रय पत्र आज दिवस तक निरस्त नही किया गया है। मात्र विक्रय पत्र निरस्त करने का वाद विचाराधीन होने के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त करना न्यायोचित नही है। अपीलांट द्वारा उक्त विक्रय पत्र भी पेश नही किया है। विक्रय पत्र दिनांक 16.01.1985 को होना बताया है। विक्रय पत्र द्वारा अपीलांट का हिस्सा विक्रय नही किया गया है। प्रश्नगत नामान्तकरण द्वारा रेस्पोडेन्टस संख्या 9 के पिता तत्कालीन खातेदार कम्मा पुत्र काना का हिस्सा रेस्पोडेन्टस संख्या 2 से 7 के पूर्वज के नाम अंकित किया गया है। उक्त नामान्तकरण से अपीलांट के हित किस प्रकार प्रभावित हुये है यह अपीलांट द्वारा स्पष्ट नही किया है। अपीलांट का कथन है कि आराजी मुतनाजा अविभाजित होने के कारण उक्त नामान्तकरण त्रुटिपूर्ण है। किन्तु अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत करने के स्थान पर विभाजन का वाद प्रस्तुत कर विभाजन का अनुतोष प्राप्त किया जा सकता था। ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर प्रश्नगत नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। उक्त विक्रय पत्र किसी भी न्यायालय द्वारा आज दिवस तक निरस्त नही किया गया है। राजस्व न्यायालय अथवा ग्राम पंचायत को पंजीकृत विक्रय पत्र की सत्यता का निर्धारण करने को कोई विधिक अधिकार नही है। नामान्तकरण तस्दीक दिनांक को अथवा बाद में आराजी मुतनाजा पर किसी भी न्यायालय का स्थगन प्रभावी नही था। अपीलांट द्वारा दिनांक 16.01.1985 के विक्रय पत्र के विरूद्व दिनांक 04.07.2019 को को वाद दायर किया गया। विलम्ब का कोई सद्भाविक कारण भी नही दर्शाया है। रेस्पोडेटस संख्या 2 से 7 के पूर्वज आराजी मुताजा के सद्भावी केता है। नामान्तकरण एक वित्तिय प्रकृति का मामला है, सिविल न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र निरस्त करने के वाद के निस्तारण पश्चात ही विक्रय पत्र की सत्यता का निर्धारण होगा।

उक्तानुसार ग्राम पंचायत बिठुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1083 दिनांक 05.10.2020 को पारित आदेश विधिसम्मत/न्यायसंगत आदेश है। जिसमें कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि जाहिर नही है, जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके अतः हस्तगत अपील खारिज किये जाने योग्य होने से एतद् द्वारा **"खारिज"** की जाती है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 14:59:03 IST
Reason: SelfAttested